21/3/2022 - मिलकपेश वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। मिले कुछ-कुछ करीब बार आवाजें लगवाई गई गई लेकिन अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 188 अदम पैरवी एवं अदम तामील के कारण खारिज किया जाता है प्रमाणकी फैसला शुमार लेखा नकल है हम ही। साथ ही वादी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विपक्षान वादी का देहान्त हो प्रमाणकी फैसला शुमार लेखा नकल है।

By